

jKT; LokLF; I fefr] fcgkj
i fjokj dY; k.k Hkou] 'ks[ki gk] i Vuk

fufonk vkef=r.k I puk

jKT; ds I Hkh I jdkjh e/; fo|ky; ka ea LokLF; I cdkh f'kfoj vk; kftr dj cPpka ds LokLF; dh
fu; fer tkp djus ds fy; s bPNqd , t d h; ks@xj I jdkjh I LFkkvka I s fufonk vkef=r dh tkrh gA

ifj; kstuk fo"i; ijd% बच्चों के स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाना।

y{; I enj % सभी सरकारी मध्य विद्यालय के छात्र

fufonk dh 'kUk%

- (1) सभी सरकारी मध्य विद्यालय के छात्र साल में एक बार अवश्य लाभान्वित हो, यह योजना का मुख्य उद्देश्य होगा।
- (2) विद्यालय में किस तिथि को चिकित्सीय टीम भ्रमण करेगी इसका निर्धारण एजेंसी द्वारा संबंधित जिले के सिविल सर्जन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी से विमर्श कर किया जायेगा। इसकी सूचना संबंधित विद्यालयों को शिक्षा विभाग के माध्यम द्वारा दी जाये।
- (3) एजेंसीज को एक चिकित्सीय टीम का गठन करना होगा।
- (4) प्रत्येक टीम में एक चिकित्सक, एक नेत्र सहायक, दो कार्यालय सहायक स्तर के कर्मचारी होंगे।
- (5) प्रत्येक विद्यालय के लिये एक-एक रजिस्टर होगा। जिसमें छात्र/छात्राओं के नाम को संधारित किया जायेगा।
- (6) प्रत्येक छात्र को एक चिकित्सा प्रपत्र (Health Card) उपलब्ध कराया जायेगा। Health Card का प्रारूप जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

fucaku (Registration) :

प्रत्येक विद्यालय के सभी बच्चों का निबंधन रजिस्टर में कर लिया जायेगा और उन्हें एक Health Card निर्गत किया जायेगा।

IEC:

संबंधित विद्यालय/शिक्षक/बच्चों को स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम की जानकारी पूर्व में ही हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

Monitoring:

स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम की Monitoring संबंधित क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी करेंगे।

ctV dk vkdyu %

(A) fpdfRI h; Vhe dks fuEu i dki I sekun\$ ns gksxk %&

प्रत्येक चिकित्सक	—	1000.00 प्रतिदिन
प्रत्येक नेत्र सहायक	—	300.00 प्रतिदिन
प्रत्येक सहायक	—	200.00 प्रतिदिन

(B) jftLVj , oa Health Card dh Ni kbZ ds [kpZ ds I kFk , t d ht }kj k I ok 'kq/d fy; k tk I dsxkA

U; ure ekud vgrk %rdudhdh Hkx%&

1. संगठन/एजेन्सी सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा सरकार द्वारा विधिपूर्वक निबंधन प्रमाण पत्र।
2. संगठन/एजेन्सी का विगत तीन वर्षों का वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन।
3. संगठन को शिविर आदि आयोजित करने का अनुभव।

vxzku jkf'k%& निविदादाता को जिला स्वास्थ्य समिति के नाम से भुगतये 5000/—(पाँच हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट निविदा शुल्क के रूप में जमा करना होगा। जो चयन नहीं होने की स्थिति में वापस कर दिया जाएगा।

निविदादाता को निविदा के वित्तीय भाग के रूप में एक अलग सीलबंद लिफाफे में मूल दर अंकित करना होगा। वित्तीय निविदा में संगठन/एजेन्सी को यह स्पष्ट करना होगा कि अंकित दर (शुल्क) प्रति शिविर सभी संसाधनों सहित धारित शुल्क है। वित्तीय निविदा निम्नलिखित प्रपत्र में दी जाएगी :-

क्र.सं.	विवरण	दर/शुल्क
1	चिकित्सकों एवं कर्मियों को देय न्यूनतम मानदेय (1700 रु० प्रति कैम्प) के अतिरिक्त छपाई खर्च आदि एवं सेवा शुल्क सहित	

निविदादाताओं को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित अनुसार अपना निविदा प्रस्ताव मुहरबंद लिफाफे में इच्छुक जिला के जिला स्वास्थ्य समिति, कार्यालय में दिनांक 4 मई 2008 तक जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। एक बड़े लिफाफे में निविदा का तकनीकी लिफाफे एवं वित्तीय लिफाफे अलग-अलग रखना होगा एवं लिफाफे के ऊपर 'निविदा' लिखा होना चाहिए।

डा० नरेश कुमार भीमसरिया, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, दुरभाष 0612-2290321, 2290340 से संपर्क किया जा सकता है।

दिनांक: 1 मई 2008